<u>प्रथम सूचना रिपोर्ट</u>
(दण्ड प्रकिया सहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1. जिला भ्र.नि.ब्यूरो, बांसवाडा थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष, 2022
प्र.इ.रि.स. 193/2022 दिनांक 19/5/2022

2. (i) अधिनियम पीसी एक्ट 1988 धारायें – धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम, 2018
(ii) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता –
(iii) अधिनियम – धारायें –
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोमनामचा आम रपट संख्या 585 समय 6:50 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन व समयः बुधवार दिनांक 18.05.2022 समय 01.50 पीएम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 09.05.2022

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दुरी : दक्षिण दिशा दुरी लगभग 530 किलो मीटर
(ब) पता : उपला भोईवाडा पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा।
........................बीट संख्या ....जरायमदेही संख्या..................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना सी0पी0एस0 जयपुर जिला चौकी भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
(अ) नाम : – श्री कैलाश डामोर
(ब) पिता – श्री बापुलाल डामोर
(स) जन्म तिथि/वर्ष – 30 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .... –...................... जारी होने की तिथि...................................
जारी होने की जगह......... –...
(र) व्यवसाय – खेतीबाडी
(छ) पता – गांव वखतपुरा तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित : श्री शम्भुलाल डोडियार पिता रंगजी डोडियार उम्र 27 वर्ष जाति भील निवासी देवगढ़ तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति बांसवाडा जिला बांसवाडा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देरी में का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पति का विवरण (अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

10. चुराई हुई सम्पति का कुल मूल्य : – 19,000/– रूपये

11. मर्ग सूचना/अप्राकृति मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो :–

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून)– आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिल बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री कैलाश डामोर के प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में आवासीय भुमि का पट्टा जारी करने एवं पट्टे का तहसील कार्यालय आंबापुरा में रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत मांग करने पर दिनांक 10.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो आरोपी सरपंच द्वारा परिवादी से 24,000 रुपये की रिश्वत मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये रिश्वत के ग्रहण कर लिये एवं शेष 19,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 18.05.2022 को आरोपी सरपंच को परिवादी से रिश्वत राशि 19,000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिल बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

M

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बांसवाडा (राज.)
विषयः– श्री शंभुलाल सरपंच द्वारा रिश्वत मांगने पर कार्यवाही चाहने बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त नम्र निवेदन है कि मैं प्रार्थी गांव वखतपुरा ग्राम पंचायत देवगढ पंचायत समिति बांसवाडा का रहने वाला हूं। मैने प्रशासन गांव संग अभियान–2021 में आवासीय भूमि का पट्टा हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन करने पर दिनांक 28.10.2021 को पट्टा संख्या 4805 सरपंच व सचिव द्वारा जारी कर दिया हैं। पट्टे पर बैक से लोन हेतु पट्टे को नियमानुसार तहसील कार्यालय से रजिट्रेशन करना आवश्यक हैं। इस हेतु सरपंच शंभुलाल से मिला तो सरपंच द्वारा पट्टा जारी करने व रजिस्ट्रेशन हेतु तहसील कार्यालय आम्बापुरा आने के लिए 50000 रूपये की रिश्वत मांग। मैने कही बार सम्पर्क किया व हाथा–जोडी करने पर पट्टे हेतु 25000 रूपये की मांग की। सरपंच साहब कर रहे हैं कि 25000 रूपये रिश्वत नहीं देगा तो पट्टे का रजिस्ट्रेशन के लिए तहसील आम्बापुरा साथ नहीं आउगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर पट्टा निरस्त कराने की धमकी दे रहे हैं। सरपंच साहब को रिश्वत नहीं देकर आपके विभाग से पकडवाने हेतु रिपोर्ट पेश कर रहा हूं।

दिनांक 09.05.2022

सही/–
(कैलाश पिता बापुलाल डामोर)
निवासी गांव वखतपुरा तहसील आम्बापुरा
जिला बांसवाडा मो–7023646483

<u>कार्यवाही पुलिस</u>

दिनांक 09.05.2022 समय 03.00 पीएम

इस समय परिवादी श्री कैलाश डामोर पुत्र श्री बापुलाल डामोर जाति भील उम्र 30 वर्ष निवासी गांव वखतपुरा तहसील आम्बापुरा जिला बांसवाडा पेशा खेतीबाडी ब्यूरो ईकाई बांसवाडा पर हाजिर आया। परिवादी श्री कैलाश डामोर ने एक लिखित प्रार्थना पत्र मन् अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किया। परिवादी को प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने शब्द–बशब्द सही होना स्वीकार किया। मजिद दरियाप्त पर परिवादी श्री कैलाश डामोर ने बताया कि वर्ष, 2021 में प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में आवासीय भूमि का पट्टे हेतु आवेदन करने पर अभियान में ग्राम पंचायत देवगढ पंचायत समिति व जिला बांसवाडा द्वारा पट्टा संख्या 4805 दिनांक 28.10.2021 को मेरे नाम से जारी किया गया हैं। उक्त पट्टे पर मुझे बैक से लॉन लेना एवं पट्टे का तहसील कार्यालय आम्बापुरा से पंजियन कराया जाना हैं। पट्टे के पंजियन ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा तहसील में जाकर किया जाता हैं इसके लिए सरपंच श्री शंभुलाल से तीन–चार माह से सम्पर्क कर रहा हूं तो परन्तु वह टालमटोल कर रहे हैं। आज करीब 15 दिन पूर्व मिला तो उन्होने मुझे कहा कि ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करने एवं पट्टे का तहसील से पंजियन कराने के लिए 25000 रूपये का खर्चा लगेगा तो ही होगा, नही तो पट्टा निरस्त हो जायेगा। मैं सरपंच श्री शंभुलाल को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं। पुछताछ पर परिवादी ने बताया कि श्री शंभुलाल से किसी प्रकार की कोई उधारी लेन–देन बाकीयात नहीं और ना ही किसी प्रकार आपसी रंजिश हैं। दरियाप्त पर मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने पर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कराया जाना आवश्यक हैं। परिवादी को डिजिटल टेप रिकोर्डर के रख–रखाव व उसके संचालन की विधि पुर्णतया समझाई गई। श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को मन् अति० पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में तलब कर परिवादी श्री कैलाश डामोर का आपस में परिचय कराया गया तथा परिवादी के हमराह जाकर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही कराने की मुनासिब हिदायत की गई। समय 04.10 पीएम पर परिवादी कैलाश डामोर को डिजीटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ट सहायक के हमराह ब्यूरो इकाई बांसवाडा से ग्राम देवगढ के लिये रवाना किया गया। समय 06.30 पीएम श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक मय डिजीटल टेप रिकोर्डर के ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आया। श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ने बताया कि ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना शुदा परिवादी श्री कैलाश के हमराह ग्राम देवगढ पहूंचे जहां पर परिवादी को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु ग्राम पंचायत देवगढ व आरोपी सरपंच के घर भेजा परन्तु आरोपी सरपंच उपस्थित नही मिला। परिवादी से डिजीटल टेप रिकोर्डर प्राप्त कर आपके निर्देशानुसार परिवादी को कल दिनांक 10.05.2022 को प्रातः 09.00 एएम पर ग्राम देवगढ के बस स्टेण्ड के आसपास उपस्थित मिलने हेतु मुनासिब हिदायत देकर रुखसत किया गया।

दिनांक 10.05.2022 समय 08.30 एएम पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक को ब्यूरो का डिजिटल टेप रिकोर्डर देकर ग्राम देवगढ पहूंच कर परिवादी श्री कैलाश डामोर से सम्पर्क कर नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से ग्राम देवगढ के लिए निजी मोटर साईकिल से रवाना किया गया। समय 11.45 एएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ब्यूरो इकाई, बांसवाडा हाजिर आये। श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ने डिजिटल टेप रिकोर्डर मन् अति० पुलिस अधीक्षक को सुपूर्द कर बताया कि ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से रवाना शुदा समय करीब 9.10 एएम पर ग्राम देवगढ पहूंचा जहा पर परिवादी श्री कैलाश डामोर उपस्थित मिला। परिवादी को डिजिटल टेप रिकोर्डर सुपूर्द कर उसके संचालन की विधि समझाते हुये रिश्वत मांग सत्यापन के लिए ग्राम पंचायत देवगढ के लिए रवाना किया गया। मैं ग्राम पंचायत देवगढ के आस–पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुऐ मुकिम रहा। करीब 11.05 एएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर रिश्वत मांग सत्यापन के हाजिर आया और टेप रिकोर्डर मुझे सुपूर्द किया जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि ग्राम पंचायत देवगढ

गया तो वहा सरपंच साहब शंभुलाल उपस्थित नहीं मिले मैने कुछ देर इन्तजार किया और ग्राम पंचायत पर मालुमात कर और उसके भाई के घर गया तो सरपंच साहब श्री शंभुलाल उपस्थित मिले। मैने अपने पट्टे का रजिस्ट्रेशन कराने हेतु वार्तालाप की गई तो सरपंच साहब ने पहले मुझसे 25000 रूपये रिश्वत मांग की फिर मैने हाथा–जोडी कर रिश्वत राशि कम करने हेतु कहा तो 24000 रूपये रिश्वत की मांग की गई और मांग सत्यापन के दौरान मुझसे ग्राम पंचायत से पट्टा जारी करने हेतु 5000 रूपये रिश्वत राशि के ग्रहण कर लिये है बकाया रिश्वत राशि 19000 रूपये 2–3 दिन बाद देने हेतु कहा हैं। सरपंच साहब ने रिश्वत राशि मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि स्वंय एवं तहसीलदार एवं तहसील के बाबुओं व वकील के नाम मांग की गई है। परिवादी श्री कैलाश डामोर ने भी श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक द्वारा बताये गये तथ्यो ताईद की गई। डिजिटल टेप रिकोर्डर को सुना गया तो आरोपी सरपंच द्वारा रिश्वत राशि मांगने की पुष्टि हुई। परिवादी ने बताया रिश्वत राशि की व्यवस्था कर दिनांक 12.05.2022 को उपस्थित आ जाउगा। समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर को दिनांक 12.05.2022 को समय 09.00 एएम पर रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आने एवं कार्यवाही की पुर्ण गोपनीयता बरतने की मुनासिब हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा डिजिटल टेप रिकोर्डर को सुरक्षित मालखाने में रखवाया गया।

दिनांक 12.05.2022 समय 09.00 एएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर ब्यूरो इकाई, बांसवाडा उपस्थित आया और बताया कि रिश्वत राशि 19000 रूपये की व्यवस्था कर साथ लेकर आया हूं। परिवादी को सुरक्षित कमरे में बैठाया गया। ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व में ही श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय बांसवाडा को जरिये दूरभाष दो स्वतंत्र गवाहान आज दिनांक 12.05.2022 को समय 9.00 पर भिजवाने हेतु निवेदन करने पर समय 09.15 एएम पर तलबीदा स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता व्याख्याता एवं श्री धुवसिंह चरपोटा शारीरिक शिक्षक, राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय सागतलाई ब्लॉक तलवाडा जिला बांसवाडा उपस्थित आये और दोनों गवाहान ने बताया कि श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर बांसवाडा व श्रीमान जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देश पर विद्यालय के प्रधानाचार्य ने हम दोनों को स्वतंत्र गवाहान हेतु मनोनित कर भेजा गया हैं। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों गवाहानों को अपने मनतव्य से अवगत कराया तो दोनों ने ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह के रुप में उपस्थित रहने हेतु अपनी–अपनी मौखिक सहमति व्यक्त की। परिवादी श्री कैलाश डामोर व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय कराया जाकर परिवादी द्वारा पेश रिपोर्ट को पढकर सुनाई गई तो स्वतंत्र गवाह के समक्ष ही परिवादी श्री कैलाश डामोर ने शब्द व शब्द सही होना स्वीकार किया। परिवादी की रिपोर्ट पर दोनों स्वतन्त्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 09.40 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल टेप रिकार्डर में दिनांक 10.05.2022 को परिवादी श्री कैलाश डामोर व आरोपी श्री शंभुलाल सरपंच के बीच हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप रिकोर्ड हैं। डिजिटल टेप रिकोर्डर को मालखाने से निकालकर कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकोर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (कम्पनी LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। समय 12.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री शंभुलाल को रिश्वत में दी जाने वाली राशि परिवादी श्री कैलाश डामोर से मांगने पर उसने उपरोक्त स्वतंत्र गवाहों के समक्ष अपने पास से 500–500 रूपये के 38 नोट कुल 19000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। उपरोक्त समस्त नोटो के नम्बर निम्नानुसार हैं :–

1	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 WT	833605
2	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 HK	624381
3	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 NL	571684
4	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 DA	519976
5	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 FV	966342
6	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GU	518411
7	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 CH	720743
8	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 KV	673996
9	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 DD	995836
10	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 AV	658998
11	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 TH	770813
12	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4SG	435478
13	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2ED	794477
14	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 GD	161878
15	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 FG	092941
16	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 FE	098364
17	500 रूपये का एक नोट नम्बर	1 ME	071715
18	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 HS	265768
19	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 HF	295181
20	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 VW	500033
21	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 TP	285291

2022/05/19 12:37

22	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 TN	449665
23	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 MC	715691
24	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 GK	108227
25	500 रूपये का एक नोट नम्बर	8 BM	549728
26	500 रूपये का एक नोट नम्बर	0 CV	863470
27	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 BP	337917
28	500 रूपये का एक नोट नम्बर	4 NC	402065
29	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 ES	093404
30	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 PB	354469
31	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 QP	803600
32	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 EB	570280
33	500 रूपये का एक नोट नम्बर	5 WC	223244
34	500 रूपये का एक नोट नम्बर	3 LE	096918
35	500 रूपये का एक नोट नम्बर	2 TF	279663
36	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 WQ	697211
37	500 रूपये का एक नोट नम्बर	7 VA	557900
38	500 रूपये का एक नोट नम्बर	9 MD	709799

मालखाने से फिनोफ्थलीन की शिशी श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 के निकलवाई जाकर फिनॉफ्थेलीन पाउडर को उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों और लगवाया जाकर नोटो को परिवादी श्री कैलाश डामोर की पहनी हुई पेन्ट की बांयी जैब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुये रखवाये गये तत्पश्चात् श्री राजेश कानि0 से एक साफ कॉच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नही बदला। इस रंगहीन घोल में श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 की दोनों हाथों की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनॉफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिकिया प्रदर्शित कर बताई एवं उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी परिवादी से रिश्वती राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो नोटों पर लगा फिनॉफ्थेलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों व अंगुठे पर लग जाएगा तथा सोडियम कार्बोनेट के घोल में आरोपी के हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि मांगकर अपने हाथों से ग्रहण की हैं। उक्त गुलाबी घोल को श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 से कार्यालय के बाहर फिकवाया गया तथा उपरोक्त कांच के गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गए। श्री गणेशप्रसाद हैड0 कानि0 एवं श्री राजेश कानि0 के दोनों हाथ साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नही मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो दूर से हाथ जोडकर अभिवादन करें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करें, तथा रिश्वती राशि दे दिये जाने के बाद अपने सिर हाथ फैर कर या अपने मोबाईल नम्बर से मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल करके आरोपी को रिश्वत राशि दिये जाने का ईशारा करें। यह निर्धारित इशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शिशी को सुरक्षित मालखाने में रखा गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शीशीयॉ, गिलास, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को श्री राजेश कानि0 से साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। तत्पश्चात् गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी–अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन–देन को देखने व सुनने का प्रयास करें। समय 01.00 पीएम पर परिवादी ने बताया कि मैने अपने स्तर पर जानकारी प्राप्त की गई तो श्री शंभुलाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ व उसके घर गांव देवगढ पर भी उपस्थित नहीं हैं और जानकारी में आया है कि कहीं सामाजिक कायर्कम में गया हुआ हैं जो सांयकाल तक आने की संभावना हैं। ऐसी सुरत में अग्रिम कार्यवाही संभावना नहीं होने से परिवादी की पेन्ट की जैब में रखी रिश्वत राशि 19000 रूपये स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में श्री राजेश कुमार कानि0 से निकलवाई जाकर एक सफेद कागज के लिफाफे में रखकर सुरक्षित ट्रेप बॉक्स में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी के ग्राम देवगढ पर उपस्थित आने एवं रिश्वत राशि हेतु सम्पर्क करने पर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जरिये दूरभाष अवगत कराने तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को तलब करने पर तुरन्त ही ब्यूरो कार्यालय उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत दी गई। परिवादी श्री कैलाश डामोर एवं स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता एवं श्री ध्रुवसिंह चरपोटा को कार्यवाही की पुर्ण गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया।

दिनांक 17.05.2022 समय 09.15 एएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर ने जरिये दूरभाष अवगत कराया कि आरोपी सरपंच श्री शंभुलाल अभी गांव देवगढ़ में है और ग्राम पंचायत में आने वाला है। जिस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आने हेतु दोनो स्वतंत्र गवाहानों को जरिये दूरभाष पाबंद किया गया। समय 10.10 एएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता व्याख्याता एवं श्री ध्रुवसिंह चरपोटा शारीरिक शिक्षक ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। समय 10.30 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता व श्री ध्रुवसिंह चरपोटा ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि. मय

2022/05/19 12:36

ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक, श्री पंकज कानि व श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनि.सहायक निजी मोटरसाईकलों पर ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से ग्राम देवगढ़ के लिए रवाना हुए। समय 11.05 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता व परिवादी के अपने–अपने वाहनों से ग्राम देवगढ़ के बस स्टेण्ड के पास पहूंचे जहां परिवादी श्री कैलाश डामोर उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि अभी करीब 15 मिनट पूर्व सरपंच साहब श्री शंभुलाल ग्राम पंचायत से कहीं निकल गये है वह अब ग्राम पंचायत या उनके भाई के घर पर कब आयेगें इसकी जानकारी नही है। जिस पर परिवादी को आरोपी शंभुलाल सरपंच के ग्राम देवगढ़ पर उपस्थित आने पर तुरन्त जरिये दूरभाष अवगत् कराने हेतु मुनासिब हिदायत कर ग्राम देवगढ़ के लिये रवाना किया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता अपने अपने वाहनों से ग्राम देवगढ से ग्राम पाडला के लिये रवाना हुए। समय 11.40 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता अपने–अपने वाहनों से ग्राम देवगढ से रवाना शुदा ग्राम पाडला पहूंच कर मूकिम हूए। समय 04.00 पीएम पर परिवादी श्री कैलाश से सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि सरपंच साहब शंभुलाल अभी तक ग्राम देवगढ उपस्थित नही आये है और वहां मालूमात की तो पता चला कि सरपंच साहब कहीं बाहर गये हुए है जो आज आने की संभावना नही है। ऐसी स्थिति में अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की संभावना नही होने से परिवादी को ग्राम पाडला तलब कर मुनासिब हिदायत करते हुए कल दिनांक 18.05.2022 को प्रातः 08.30 एएम पर ग्राम देवगढ बस स्टेण्ड के आसपास उपस्थित मिलने हेतु पाबंद किया गया। समय 04.30 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता के अपने–अपने वाहनों से ग्राम पाडला से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 04.50 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता अपने–अपने वाहनों से ग्राम पाडला से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचा तथा ट्रेप बॉक्स को सुरक्षित मालखाने में रखवाया जाकर दोनो स्वतंत्र गवाहों को कल दिनांक 18.05.2022 को प्रातः 07.30 एएम पर ब्यूरो इकाई बांसवाडा पर उपस्थित आने हेतु मुनासिब हिदायत कर रुखसत किया गया।

दिनांक 18.05.2022 समय 07.30 एएम पर स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता व्याख्याता एवं श्री ध्रुवसिंह चरपोटा शारीरिक शिक्षक ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। समय 08.05 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता व श्री ध्रुवसिंह चरपोटा ब्यूरो जाप्ता श्री राजेश कुमार कानि. मय ट्रेप बाक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक, श्री पंकज कानि व श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक एवं श्री लक्ष्मणसिंह कनि.सहायक व श्री महेशचन्द्र कानि. निजी मोटरसाईकलों पर ब्यूरो इकाई, बांसवाडा से ग्राम देवगढ़ के लिए रवाना हुए। समय 08.30 एएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता व परिवादी के अपने–अपने वाहनों से ग्राम देवगढ़ के बस स्टेण्ड के पास पहूंचे जहां परिवादी श्री कैलाश डामोर उपस्थित मिला। परिवादी ने बताया कि सरपंच साहब श्री शंभुलाल अपने भाई के घर पर या ग्राम देवगढ के बस स्टेण्ड या ग्राम पंचायत पर भी उपस्थित नही आये है। जिस पर परिवादी के मोबाईल से आरोपी के मोबाईल पर सम्पर्क करना चाहा तो आरोपी का मोबाईल स्वीच ऑफ आया जिस पर परिवादी को ग्राम देवगढ के लिये रवाना कर आरोपी श्री शंभुलाल के ग्राम देवगढ पर उपस्थित आने पर तुरन्त ही अवगत् कराने की मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो जाप्ता अपने अपने वाहनों से ग्राम देवगढ़ के आसपास अपनी अपनी उपस्थिति छुपाकर मूकिम हुए। समय 11.15 एएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकर बताया कि सरपंच साहब अभी तक ग्राम देवगढ़ नही आये है। सरपंच साहब द्वारा शहर बांसवाडा में उपला भोईवाडा पुलिस चौकी सुरजपोल के पास किराये के मकान ले रखा है। मैने अपने स्तर पर पता किया तो सरपंच साहब किराये के मकान पर है और आज ग्राम देवगढ नही आने वाले है। सरपंच साहब को उनके किराये के मकान उपला भोईवाडा जाकर रिश्वत राशि देने पर भी वह मुझसे ग्रहण कर लेगें। समय 11.45 एएम पर मन् अतिरिक्त अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह, परिवादी व ब्यूरो जाप्ता प्राईवेट वाहन मय चालक व निजी मोटरसाईकलों से ग्राम देवगढ़ से ब्यूरो इकाई बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 12.10 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो जाप्ता अपने–अपने वाहनों से ग्राम देवगढ़ से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचे। परिवादी को आरोपी की वर्तमान उपस्थित पता कर बताने की हिदायत की गई। समय 12.45 पीएम पर परिवादी श्री कैलाश ने बताया कि उसने जानकारी की तो शंभुलाल सरपंच उपला भोईवाडा अपने कमरे पर ही है, जिस पर ट्रेप बॉक्स में एक सफेद कागज के लिफाफे में सुरक्षित रखी गयी रिश्वत राशि 19,000 रुपये स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री राजेश कुमार कानि. से निकालवाये जाकर परिवादी श्री कैलाश डामोर की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी जैब में कोई वस्तु नही रखते हुए रखवाये गये तथा लिफाफे को नष्ट करवाया जाकर श्री राजेश कुमार कानि. के दोनो हाथ को साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर को रिश्वत लेनदेन वार्ता को रिकोर्ड करने हेतु ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकोर्डर संचालन की विधी पुनः समझा कर दोनो स्वतंत्र गवाहान के समक्ष जरिये फर्द सुपूर्द किया गया। समय 01.15 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री महेशचन्द्र कानि., श्री राजेश कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक संसाधन जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक व जितेन्द्रसिंह कानि.ड्रा व श्री पंकज कानि. तथा श्री लक्ष्मणसिंह कनि.सहायक व परिवादी निजी मोटरसाईकलों से उपला भोईवाडा शहर बांसवाडा के लिये रवाना हुए। समय 01.30 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, ब्यूरो जाप्ता श्री महेशचन्द्र कानि., श्री राजेश कुमार कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप व आवश्यक संसाधन जरिये प्राईवेट वाहन मय चालक व जितेन्द्रसिंह कानि.ड्रा व श्री पंकज कानि. तथा श्री लक्ष्मणसिंह कनि. सहायक व परिवादी निजी मोटरसाईकलों से उपला भोईवाडा के पास स्थित राजकीय नगर उच्च माध्यमिक विद्यालय बांसवाडा के पास पहूंच कर परिवादी को मुनासिब हिदायत के आरोपी शंभुलाल सरपंच के उपला

2022/05/19 12:38

भोईवाडा स्थित किराये के मकान के लिये रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो जाप्ता परिवादी के पीछे–पीछे रवाना होकर मकान के आस पास अपनी अपनी उपस्थित छुपाते हुए परिवादी के ईशारे के इन्तजार में मुकीम हुए।

समय 01.50 पीएम पर परिवादी श्री कैलाश डामोर ने मोहल्ला उपला भोईवाडा शहर बांसवाडा में आरोपी के प्राईवेट किराये के मकान से बाहर आकर मकान के सामने सड़क पर खड़े होकर आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत् पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर दो बार हाथ फैरने का करने पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता तेज कदमो से चलते हुए परिवादी के पास पहूंचा तो परिवादी ने टेप रिकोर्डर प्रस्तुत किया जिसे बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया। परिवादी ने बताया कि सरपंच श्री शंभुलाल द्वारा रिश्वत राशि मांग कर अपने हाथों से ग्रहण कर राशि को गिनकर कमरे में दिवार पर टंगे हुए काले रंग के बैग में रखे है और वह कमरे में बैठे हुए है। आरोपी सरपंच जो किराये के मकान के प्रथम मंजिल पर एक कमरे में निवास कर रहा है मकान के प्रथम तल पर जाने हेतु बाहर से ही सीढीयां बनी हुई है जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्वतंत्र गवाहान व परिवादी तथा ब्यूरो जाप्ता के साथ सीढीयों से चढ़कर आरोपी के किराये के कमरे के बाहर खुली छत पर पहूंचकर आरोपी सरपंच के कमरे के दरवाजे को खटखटाया तो एक व्यक्ति ने दरवाजा खोला तो परिवादी ने ईशारा कर बताया कि ये ही श्री शंभुलाल सरपंच है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो जाप्ते के उक्त कमरे में प्रवेश कर अपना स्वयं का व हमराहियानों का परिचय देते हुए अपने आने का मन्तव्य बताया व उनसे नाम पता पुछा तो उसने अपना नाम शंभुलाल पिता श्री रंगजी डोडीयार हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिला बांसवाडा होना बताया गया। आरोपी शंभुलाल सरपंच को परिवादी श्री कैलाश डामोर से रिश्वत राशि 19,000 रुपये अभी–अभी किस बात के ग्रहण किये गये है के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि कैलाश डामोर से मैने कोई रिश्वत राशि ग्रहण नही की है। जिस पर मौके पर उपस्थित परिवादी ने कहा कि सरपंच साहब झूठ बोल रहे है प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में आवासीय भुमि के पट्टे हेतु आवेदन किया था जिस पर सरपंच साहब द्वारा पट्टा जारी करने व पट्टे का तहसील कार्यालय आंबापुरा से रजिस्ट्रेशन करवाने के लिये 25,000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा पट्टा संख्या 4805 दिनांक 28.10.2021 जारी किया गया और दिनांक 10.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यान के दौरान 24,000 रुपये की रिश्वत मांग करते हुए सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये रिश्वत के ग्रहण किये तथा शेष राशि 19,000 रुपये आज अपने हाथों से ग्रहण कर गिनकर कमरे के अन्दर दिवार पर टंगे काले बैग में रखे है और अभी रिश्वत 19,000 रुपये मांगकर ग्रहण करने बाबत् वार्तालाप को भी मैने टेप रिकोर्डर में रिकोर्ड कर लिया है। जिस पर आरोपी सरपंच एकदम चुप हो गया कुछ नही बोला और घबरा गया। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व ब्यूरो जाप्ता तथा आरोपी की उपस्थिति में स्वतंत्र गवाह श्री लोकेन्द्र गुप्ता से कमरे के अन्दर दिवार पर कील पर टंगे हुए काले बेग को उतरवाकर तलाशी लिवाई गयी तो बेग के एक खाने में सिमटे हुए 500–500 रुपये के कुछ नोट बरामद हुए जिनका दोनो स्वतंत्र गवाहनों से पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी सुपूर्दगी नोट से कराया गया तो नोट हुबहू फर्द पेशकशी में अंकित नम्बरों के पाये गये। उक्त 500–500 रुपये के 38 नोट कुल 19,000 रुपये बरामद हुए जिसे कब्जे ब्यूरो लिया गया तथा बरामद शुदा रिश्वत राशि 19,000 रुपये को एक कागज की चीट लगाकर सीलचीट कर संबधितो के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् प्राईवेट वाहन में रखे ट्रेप बाक्स को श्री राजेश कुमार कानि0 से मंगवाया जाकर ट्रेप बाक्स में रखे दो साफ कांच के गिलासों में आरोपी के निवास पर पीने वाले साफ पानी को भरवाया जाकर उन दोनों कांच के गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा गवाहान ने भी घोल का रंग अपरिवर्तित बताया। एक रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री शंभुलाल सरपंच के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क आर.एच.–1 व आर.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे रंगहीन घोल भरे गिलास में आरोपी श्री शंभुलाल सरपंच के बांये हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का हल्का गुलाबी हुआ। उक्त घोल को कांच की दो साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाया जाकर सीलचीट बंद करा मार्क एल.एच.–1 व एल.एच.–2 अंकित करा चीट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी सरपंच ने रिश्वत राशि परिवादी से ग्रहण कर कमरे की दिवार पर टंगे रेगजीन के काले रंग के बेग जिसके उपर "apple" लिखा हुआ है मे रखे थे जिसके अन्दर से रिश्वत राशि बरामद हुई है का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार कराया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। एक साफ रुई के टुकडे को साफ पानी में भिगोकर बरामद रिश्वत राशि के स्थान पर सावधानी पूर्वक घुमाया जाकर रुई को तैयार सोडियम कार्बोनेट के घोल में डूबोया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा आधा भरकर मार्क बी–1 व बी–2 अंकित कर सीलचीट कर चीट पर संबधितों के हस्ताक्षर कराये गये। रुई के टुकडे को जलाकर नष्ट किया गया। बरामद रिश्वत राशि स्थान पर मार्कर पेन से गोला कर संबधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। एक सफेद कपड़े की थैली में बेग को रखकर थैली पर एक कागज की चीट लगाकर मार्क–बी अंकित किया जाकर संबधितों के हस्ताक्षर कराये जाकर थैली को सीलचीट किया गया। आरोपी श्री शंभुलाल सरपंच द्वारा दिनांक 10.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान रिश्वत राशि में से कुछ हिस्सा तहसीलदार, तहसील कार्यालय के बाबुओं व वकील इत्यादि को देने बाबत् वार्तालाप कर परिवादी श्री कैलाश से 24,000 रुपये रिश्वत मांग कर दौराने सत्यापन 5,000 रुपये ग्रहण किये गये है तथा शेष राशि 19,000 रुपये आज ट्रेप कार्यवाही के दौरान ग्रहण किये गये है। इस ग्रहण रिश्वत राशि में और किस–किस का भाग है तथा किस–किस को कितनी–कितनी रिश्वत राशि देनी है तो आरोपी ने बताया कि यह

बरामद रिश्वत राशि अपने स्वंय के लिये ली है इसमें और किसी का हिस्सा नही है तथा ना ही किसी और को यह रिश्वत राशि देनी थी केवल पट्टे के रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज तैयार हेतु वकील को दो–चार हजार रुपये देता और शेष राशि मेरे स्वंय के पास ही रखता। कार्यवाही के दौरान आरोपी सरपंच से परिवादी श्री कैलाश डामोर के पट्टे संबधित ग्राम पंचायत में उपलब्ध रिकोर्ड के बारे में पूछा तो आरोपी ने बताया कि ग्राम पंचायत का सम्पूर्ण रिकोर्ड ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रभुलाल के पास है। ग्राम विकास अधिकारी को तलब कर संबधित रिकोर्ड प्राप्त किया जायेगा। आरोपी श्री शंभुलाल डोडीयार उक्त प्राईवेट एक कमरे में किराये पर रहता है। उक्त मकान श्री अशोक तेली पिता श्री लाल तेली निवासी उपला भोईवाडा थाना कोतवाली जिला बांसवाडा का है। ट्रेप कार्यवाही के सम्पूर्ण हालात उच्चाधिकारियों को जरिये दूरभाष अर्ज किये गये। समय 04.30 पीएम पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। मौके पर लोगों की काफी भीड़ भाड़ हो गयी है तथा आरोपी सरपंच एक कमरे में किराये पर निवास कर रहा है जो ट्रेप कार्यवाही की लिखा पढ़ी में असुविधा हो रही है ऐसी स्थिति को देखकर अग्रिम कार्यवाही ब्यूरो इकाई बांसवाडा पहूंचकर किया जाना उचित होने से समय 04.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता, श्री ध्रुवसिंह चरपोटा, आरोपी श्री शंभुलाल व ब्यूरो जाब्ता श्री राजेश कुमार कानि, श्री महेशचन्द्र कानि मय ट्रेप बाक्स जब्त रिश्वत राशि 19,000 रू, आरोपी श्री शंभुलाल के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1 व 2, एलएच– 1 व 2, बरामद रिश्वत राशि बेग का धोवन मार्क बी–1 व 2, सीलचीट शुदा बेग पैकेट मार्क–बी तथा लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक तथा श्री पंकज कानि. व श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक व श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री कैलाश डामोर निजी मोटरसाईकलों से उपला भोईवाडा शहर बांसवाडा से ब्यूरो इकाई बासंवाडा के लिये रवाना हुआ। समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री लोकेन्द्र गुप्ता, श्री ध्रुवसिंह चरपोटा, आरोपी श्री शंभुलाल व ब्यूरो जाब्ता श्री राजेश कुमार कानि, श्री महेशचन्द्र कानि मय ट्रेप बाक्स जब्त रिश्वत राशि 19,000 रू, आरोपी श्री शंभुलाल के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1 व 2, एलएच– 1 व 2, बरामद रिश्वत राशि बेग का धोवन मार्क बी–1 व 2, सीलचीट शुदा बेग पैकेट मार्क–बी तथा लेपटॉप, प्रिन्टर व आवश्यक संसाधन के प्राईवेट वाहन मय चालक तथा श्री पंकज कानि. व श्री जितेन्द्रसिंह कानि.चालक व श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री कैलाश डामोर निजी मोटरसाईकलों से उपला भोईवाडा शहर बांसवाडा से रवाना शुदा ब्यूरो इकाई बासंवाडा पहूंचा। समय 05.30 पीएम पर दौराने ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री कैलाश डामोर व आरोपी शंभुलाल के बीच रिश्वत लेन–देन के वक्त हुई वार्तालाप जिसे परिवादी ने ब्यूरो के डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी हैं। डिजिटल टेप रिकोर्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रिकोर्डर वार्तालाप को पेनड्राईव (कम्पनी LAPCARE 16 GB) में कॉपी किया गया। पेन ड्राईव को कम्प्युटर में लगाकर परिवादी व स्वतंत्र गवाहान के समक्ष सुना जाकर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट मुर्तिब कराई जाकर फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। पेन ड्राईव से डब सीडी बनाई गई तथा पेन ड्राईव को एक छोटे प्लास्टिक के कवर में डालकर उक्त प्लास्टिक के कवर को एक कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली पर एक कागज की चीट लगाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पेन ड्राईव को नियमानुसार सील्ड की गई। प्रकरण में ब्यूरो मुख्यालय के निर्देशानुसार आरोपी श्री शंभुलाल का नियमानुसार आवाज का नमूना माननीय न्यायालय के समक्ष प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी द्वारा लिया जायेगा। समय 07.00 पीएम पर आरोपी श्री शंभुलाल डोडीयार सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिला बांसवाडा को जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 से आगाह कर जरिये फर्द नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 07.15 पीएम पर तलबिदा शुदा श्री प्रभुलाल पारगी हाल ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिला बांसवाडा उपस्थित आये। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा परिवादी श्री कैलाश डामोर के पट्टा बाबत् मूल पत्रावली प्रस्तुत कर बताया कि प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत श्री कैलाश पिता बापुलाल निवासी वखतपुरा ग्राम पंचायत देवगढ़ तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा द्वारा आवेदन करने पर ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार आवेदन की जांच उपरान्त श्री कैलाश पट्टा की पात्रता रखने पर ग्राम पंचायत की कोरम की बैठक में लिया जाकर मिसल संख्या 05 बुक संख्या 01 पट्टा संख्या 4805 दिनांक 28.10.2021 को सरपंच श्री शंभुलाल एवं तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी श्री योगेश सेनी द्वारा जारी किया गया है। उक्त पट्टा जारी किया जाने पर ग्राम पंचायत द्वारा किसी प्रकार का कोई शुल्क लेने का प्रावधान नही है आवेदक को पट्टा निशुल्क जारी किया जाना था नियमानुसार पट्टे का रजिस्ट्रेशन तहसील कार्यालय आंबापुरा से सरपंच द्वारा अपने हस्ताक्षर से कराया जाता है। पट्टे की मूल पत्रावली ग्राम विकास अधिकारी श्री प्रभुलाल पारगी को सुपूर्द की जाकर उसकी प्रमाणित प्रति ग्राम विकास अधिकारी से प्राप्त कर शामील कार्यवाही की गई। समय 07.40 पीएम पर प्रकरण में जप्त शुदा रिश्वत राशि 19,000 रू, आरोपी श्री शंभुलाल के दोनो हाथों का धोवन मार्क आरएच–1 व 2, एलएच– 1 व 2, बरामद रिश्वत राशि बेग का धोवन मार्क बी–1 व 2, सीलचीट शुदा बेग पैकेट मार्क–बी, रिश्वत मांग सत्यापन एवं लेनदेन वार्ता की मूल सीडीया एवं डब सीडीया इत्यादि को मालखाने के रजिस्टर में इन्द्राज कराया जाकर श्री राजेश कुमार कानि. कार्यवाहक मालखाना प्रभारी को सुपूर्द कर जमा मालखाना कराया गया तथा गवाह श्री लोकेन्द्र गुप्ता एवं श्री ध्रुवसिंह चरपोटा व परिवादी श्री कैलाश डामोर को मुनासिब हिदायत के रूखसत किये गये। समय 07.55 पीएम पर आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार सरपंच का मेडिकल ज्युरिस्ट से स्वास्थ्य परीक्षण कराने एवं राजकीय महात्मा गांधी चिकित्सालय बांसवाडा तहरिर जारी कर श्री महेशचन्द्र कानि0 मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिह को मुनासिब हिदायत के ब्यूरो इकाई बांसवाडा से रवाना किया गया। समय 08.15 पीएम पर श्री महेशचन्द्र कानि0 एवं आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार सरपंच मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह ब्यूरो इकाई, बांसवाडा

हाजिर आये। कानि. श्री महेशचन्द्र द्वारा आरोपी की मेडिकल रिपोर्ट मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की जिसे शामील कार्यवाही किया गया। समय 10.00 पीएम पर आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार सरपंच से पूछताछ की गई तो आरोपी द्वारा पूर्व में बताये गये तथ्यों के अलावा नये कोई तथ्य नही बताये गये। आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस थाना कोतवाली में जमा कराने तहरिर जारी कर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, आरोपी श्री श्री शंभुलाल मय सरकारी बोलेरो व चालक श्री जितेन्द्रसिंह को मुनासिब हिदायत के रवाना किया गया। समय 10.20 पीएम पर श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक, श्री जितेन्द्रसिंह कानि. चालक मय सरकारी बोलेरो के ब्यूरो इकाई बांसवाडा उपस्थित आये। श्री लक्ष्मणसिंह कनिष्ठ सहायक ने आरोपी श्री शंभुलाल को पुलिस थाना कोतवाली में जमा रसीद मय रोजनामचा आम रपट पेश की जिसे शामील पत्रावली किया गया। प्रकरण में आज दिनांक 19.05.2022 को आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार सरपंच को सुरक्षा की दृष्टि से बंद हवालात पुलिस थाना कोतवाली जिला बांसवाडा से प्राप्त कर कोरोना जांच करायी जाकर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर न्यायाधीश महोदय् के आदेशानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रकरण में परिवादी द्वारा पेश लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्शन रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनॉफ्थेलीन पाउडर, फर्द बरामदगी रिश्वत राशि एवं हाथ धुलाई, फर्द नक्शा मौका घटनास्थल रिश्वत राशि ग्रहण, फर्द रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा प्रकरण की समस्त परिस्थितियों से पाया गया कि परिवादी श्री कैलाश डामोर द्वारा ग्राम पंचायत देवगढ में प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के तहत आवासीय भुमि के पट्टे हेतु आवेदन करने पर दिनांक 28.10.2021 को ग्राम पंचायत द्वारा परिवादी को पट्टा संख्या 4805 जारी किया गया। आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिल बांसवाडा द्वारा परिवादी श्री कैलाश डामोर के प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 में आवासीय भुमि का पट्टा जारी करने एवं पट्टे का तहसील कार्यालय आंबापुरा में रजिस्ट्रेशन कराने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत मांग करने पर दिनांक 10.05.2022 को रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया तो आरोपी सरपंच द्वारा परिवादी से 24,000 रुपये की रिश्वत मांग करते हुए मांग सत्यापन के दौरान 5,000 रुपये रिश्वत के ग्रहण कर लिये एवं शेष 19,000 रुपये रिश्वत मांगने की पुष्टि होने पर दिनांक 18.05.2022 को आरोपी सरपंच को परिवादी से रिश्वत राशि 19,000 रूपये लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया हैं। आरोपी श्री शंभुलाल डोडियार हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति व जिल बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) एक्ट, 2018 का अपराध प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित है।

अतः आरोपी श्री शम्भुलाल डोडियार पिता रंगजी डोडियार उम्र 27 वर्ष जाति भील निवासी देवगढ़ तहसील आंबापुरा जिला बांसवाडा हाल सरपंच ग्राम पंचायत देवगढ़ पंचायत समिति बांसवाडा जिला बांसवाडा के विरूद्व जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित हैं।

भवदीय,

(माधोसिंह)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रनिब्यूरो, बांसवाडा

2022/05/19 2:39

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री माधोसिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शम्भुलाल डोडियार, सरपंच, ग्राम पंचायत देवगढ़, पंचायत समिति बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 193/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

19.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांकः- 1701-05 दिनांक 19.5.2022

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. उप शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, उदयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बांसवाड़ा।

19.5.22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।